राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1)विभाग

क्रमांक : प 1(64)एम.ई. / ग्रुप–1 / 2005 जयपुर दिनांक : 15 MAR 2018

आदेश

डॉ. दीपक माहेश्वरी, आचार्य कार्डियोलोजी, मेडिकल कॉलेज, जयपुर के स्वंय के निवेदन पर इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20.10.2016 द्वारा उनका आचार्य, कार्डियोलोजी के पद से दिनांक 20.10.2016 (मध्यान्ह पश्चात) से त्यागपत्र स्वीकृत किया गया था।

उक्त आदेश दिनांक 20.10.2016 की पालना में प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक 30309 / एफ / एमसी / ईजी / 2016 दिनांक 24.10.2016 के द्वारा डॉ. दीपक माहेश्वरी को राज्य सेवा से कार्यमुक्त किया गया।

डॉ. दीपक माहेश्वरी का त्यागपत्र स्वीकार किये जाने से पूर्व राजस्थान सेवा नियम, 1951 में वर्णित अदेयता प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने सम्बन्धी शर्त की पालना नहीं होने एवं संबंधित चिकित्सक शिक्षक का त्याग पत्र स्वीकार होने के पश्चात उसको कार्यमुक्त किये जाने संबंधी आदेश दिनांक 26.10.2016 की तामील नहीं होने के कारण तथा चिकित्सा महाविद्यालयों में सुपर स्पेशलिटी के चिकित्सक शिक्षकों की आवश्यकता के दृष्टिगत विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 06.07.2017 द्वारा डॉ. दीपक माहेश्वरी का त्याग पत्र राज्य सरकार द्वारा वापिस लिया गया। जिसकी पालना में डॉ. माहेश्वरी द्वारा दिनांक 07.07.2017 को आचार्य, कार्डियोलोजी के पद पर मेडिकल कॉलेज, जयपुर में कार्यग्रहण किया गया।

अतः डॉ. दीपक माहेश्वरी का त्याग पत्र स्वीकार करने से पुनः सेवा में लिये जाने की अवधि के मध्य की अवधि दिनांक 21.10.2016 से 06.07.2017 तक को अकार्य अवधि (सेवा में व्यवधान नहीं) मानते हुए एतद्द्वारा सेवा नियमित की जाती है।

सेवा नियमित की यह स्वीकृति मंत्रिमण्डल सचिवालय की आज्ञा संख्या 24 / 2018 दिनांक 26.02.2018 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है। डॉ. माहेश्वरी का त्याग पत्र वापिस लेने एवं पुनः कार्यग्रहण कराने का अनुमोदन भी मंत्रीमण्डल सचिवालय की उक्त आज्ञा द्वारा किया गया है।

आदेश से,

(रतन लाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय, राज. जयपुर।
4. निजि सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
6. डॉ. दीपक माहेश्वरी, आचार्य, कार्डियोलोजी को मार्फत प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव